

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 140 / 2013
संस्थान दिनांक 30.03.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. पप्पू उर्फ जितेन्द्र पिता भूरिया (काशीराम) बंजारा, उम्र-31 वर्ष,
 2. श्रीमती मीराबाई पति भूरिया बंजारा, उम्र-54 वर्ष,
 3. भोल्या पिता फकीरा, बंजारा उम्र-39 वर्ष,
 4. राजु पिता बदीया, बंजारा उम्र-39 वर्ष,
 5. श्रीमती कस्तुरीबाई उर्फ कतु पति राजु, बंजारा उम्र-36 वर्ष,
 6. श्रीमती ललीताबाई पति लवकुश, बंजारा उम्र-29 वर्ष,
- सभी निवासी हतौला, थाना अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	—	श्री एल0के0 जैन अधिवक्ता ।

// निर्णय //
(आज दिनांक 08 / 12 / 2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 52 / 2013 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 13.03.2013 के डेढ़ वर्ष पूर्व से स्थान फरियादिया का ससुराल ग्राम हतौला में उसका पति और पति के रिश्तेदार होते हुये । फरियादिया से दहेज लेने या उसकी मांग करने की बात को लेकर, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के लिये भा0द0सं0 की धारा 498-ए, तथा दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 का एवं आरोपी पप्पू उर्फ जितेन्द्र पर फरियादिया दुर्गाबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिये भा0द0सं0 की धारा 323 एवं 506 भाग-दो भा0द0सं0के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि, आरोपी पप्पू उर्फ जितेन्द्र फरियादिया दुर्गाबाई का पति है, मीराबाई उसकी सास, ललिताबाई उसकी नंद, कस्तुरीबाई फरियादिया की बुआ सास, फुफा ससुर भोल्या और राजु है, यह भी स्वीकृत तथ्य है कि, फरियादिया दुर्गाबाई का विवाह आरोपी पप्पू से वर्ष 2009 में हुआ था तथा फरियादिया का

पप्पु से दो पुत्र हैं, जो वर्तमान में फरियादिया के साथ निवास करते हैं। पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2013 को श्रीमती दुर्गाबाई ने थाना अंजड़ पर आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। शादी के 6 माह बाद से ही वह अपनी सास से अलग होकर अपने पति पप्पु के साथ रहती थी। शादी के डेढ़ साल बाद से ही उसका पति पप्पु उसे बोलता था कि, मायके से दहेज लेकर नहीं आयी। वह अपने मां बाप से दो लाख रुपये दहेज के लेकर आये। वह उक्त रूपयों से धंधा करेगा। फरियादिया ने कहा कि, उसके माता पिता गरीब हैं इतना पैसा कहा से देगे तो उसके पति पप्पु, सास मीराबाई, नंद ललिताबाई, बुआ सास कस्तुरीबाई, फुफा ससुर भोल्या और राजु उसे दहेज लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। उनके बहकाने पर उसका पति पप्पु छोटी छोटी बातों को लेकर हाथमुक्कों से मारपीट करता रहता था। तीन माह पहले उसके पति ने उसे ससुराल से भगा दिया था कहा कि, दहेज लेकर आना नहीं तो जान से खत्म कर देगा और दूसरी औरत कर लेगा। इसकी शिकायत उसने महिला परिवार परामर्श केन्द्र बडवानी में की थी, और घटना की जानकारी मायके जाने पर माता पिता को दी। महिला परामर्श केन्द्र में आपसी समझौता नहीं होने से आज अपने भाई अनारसिंग तथा पिता के साथ थाने पर रिपोर्ट कराने आयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रं० 52/13 दर्ज कर फरियादा का मेडिकल परीक्षण कराया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे, नक्शा मौका बनाया था और आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498-ए भा०द०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रेतेशोध अधिनियम के अंतर्गत तथा आरोपी पप्पु के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 323 एवं 506 भाग-2 का भी आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में साक्ष्य देना प्रगट किया तथा बचाव साक्षी बट्टी का परीक्षण कराया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.03.2013 के लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से स्थान-फरियादिया का ससुराल ग्राम हतौला में उसके पति एवं पति के रिश्तेदार होते हुये फरियादिया को दहेज लाने की बात को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

2. क्या अभियुक्त पप्पु उर्फ जितेन्द्र ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
3. क्या अभियुक्त पप्पु उर्फ जितेन्द्र ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित की?
4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया के साथ दहेज लेकर अथवा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

06. चूंकि उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिये उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। दुर्गाबाई (अ.सा.01) का कथन है कि, विवाह के कुछ दिनों तक तो पति और ससुराल वालों ने उसे अच्छा रखा फिर उसका पति और सास ने उसे कहा कि, वह अपने मायके से रुपये लेकर आये तथा रूपयों से काम व्यवसाय करने का भी कहा था, उसकी सास और पति उसके साथ मारपीट करते थे तथा उसके माता पिता के यहां से रुपये दो लाख दहेज में लेकर आने का कहते थे। उसकी नंद ललिताबाई कहती थी कि, रुपये दो लाख दहेज में नहीं लायी तो उसे छोड़ देगे, तथा यह भी कहते थे कि, दहेज के रुपये लेकर आयी तो रखेगे। वह अपने ससुर वालों के कहने पर मायके दहेज के रुपये लेने गयी थी किन्तु उसकी माता पिता गरीब होने के कारण रूपयों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इस कारण वह अपने माता पिता के घर ही रुक गयी। उसके फुफा ससुर भोल्या और राजु तथा बुआ सास कस्तुरीबाई, उसके पति, सास और ससुर को उसके बारे में भडकाते थे तब उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर लेखबद्ध करायी थी जो **प्रोपीओ 1** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था। नक्शा मौका **प्रोपीओ 2** पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं उसने आरोपीगण के विरुद्ध महिला डेस्क बडवानी में शिकायत की थी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रो पीओ 3** है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादिया का यह भी कथन है कि, थाना अंजड पर रिपोर्ट करने के बाद उसका अपने पति पप्पु उर्फ जितेन्द्र से राजीनामा हो गया था। जिसका इंकरारनामा **प्रोपीओ 4** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग पर उसके पति के हस्ताक्षर हैं।

7. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया है कि, वह पढी लिखी नहीं है उसे घटना की दिनांक याद नहीं है उसने घटना की रिपोर्ट दो वर्ष बाद की थी तब तक वह अपने माता पिता के यहां रहती थी। क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसका घर बिगड़े। फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि, रिपोर्ट के बाद उसका अपने पति से राजीनामा होने के बाद वह अपने पति के साथ चली गयी थी तथा पति के साथ लगभग 5-6 माह तक रही उसके बाद उसका पति और ससुराल वाले अच्छा नहीं रखते थे तथा उसके साथ मारपीट भी करते थे उसने उक्त दूसरी घटना की रिपोर्ट थाने पर नहीं की थी। फरियादिया ने स्वीकार किया है कि, उसने उसके ससुराल वालों द्वारा मांगे गये दहेज के रुपये दो लाख माता पिता के यहां से लाकर नहीं दिये। साक्षी ने स्पष्ट

किया है कि, उसके पिता ने विवाह के 8 दिन बाद उसके पति को मोटरसाईकिल लेने के लिये रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) नगद दिये थे। जो बात उसने पुलिस को **प्रोपी0 1** रिपोर्ट लिखाते समय बता दी थी, यदि उक्त बात पुलिस ने नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, महिला डेस्क वालों ने दोनों पक्षों को समझाईश दी थी। फरियादिया ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, आरोपीगण ने उसके साथ दहेज की मांग अथवा मारपीट नहीं की थी अथवा उसने असत्य रिपोर्ट लिखायी थी। साक्षी ने **प्रोपी0 4** की लिखा पढी के बाद ससुराल जाना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, **प्रोपी0 4** का इंकाररनामा धरमपुरी में कराया था। फरियादिया ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, दि0 20.03.13 को जब आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था उस दिन वह भी न्यायालय अपने पति के साथ आयी थी। साक्षी ने इंकाररनामा **प्रोडी0 1** पर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। लेकिन उक्त समझौते को अपने द्वारा करने से इंकार किया है तथा स्पष्ट किया है कि, उक्त हस्ताक्षर उसने धरमपुरी में उस समय किये थे जब आरोपी पप्पु उसे 11 आदमियों के साथ लेने आया था। फरियादिया ने स्पष्ट किया कि, पप्पु ने उसे कहा कि, वह दूसरी औरत को छोड़ देगा तथा उसे अच्छे से रखेगा। साक्षी ने न्यायालय की रिमाण्ड आदेश पत्रिका दि0 20.03.2013 पर ए से ए भाग पर तथा आवेदन पत्र **प्रोडी0 2**, शपथ पत्र **प्रोडी0 3** तथा वकालतनामा **प्रोडी0 4** पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं लेकिन उसमें लिखे तथ्यों की सत्यता से इंकार किया है, तथा आरोपीगण से दि0 20.03.2013 को राजीनामा करने से स्पष्ट इंकार किया है।

8. घीसालाल (अ.सा.02), अनारसिंह आसा0 (अ.सा.03), संतराबाई (अ.सा.04) ने भी आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज में रुपये दो लाख की मांग करने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि, दुर्गाबाई ने उन्हें बताया था कि, आरोपीगण उसे दो लाख रुपये उसके माता पिता के यहां से लाने का बोलते थे और नहीं लाने पर मारपीट करते थे। दुर्गाबाई का पति (पप्पु) शेष आरोपीगण के कहने पर दुर्गाबाई के साथ मारपीट करता था। अनारसिंह (अ.सा.03) का यह भी कथन है कि, वर्ष 2013 में दुर्गाबाई को आरोपीगण ने मायके से दो लाख रुपये लाने की बात के कारण उसे घर से निकाल दिया तब दुर्गाबाई ने गांव में आकर उन्हें घटना बतायी थी। दुर्गाबाई ने पहले महिला थाने में शिकायत की थी लेकिन उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर आड़े रहे उसके बाद दुर्गाबाई ने थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि, दुर्गाबाई उसकी बहन है, दुर्गाबाई के ससुराल वालों ने उसे दहेज की मांग किस किस तारिखों को की उसे मालूम नहीं है, तथा उसकी बहन ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया था, तथा राजीनामों के बाद दुर्गाबाई दो-तीन माह तक उसके ससुराल में रही। लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, उसके बाद उसकी बहन वापस उनके घर आयी और बताया कि, ससुराल वाले मारपीट करते हैं, तथा दो लाख रुपये नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसकी बहन ने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है। घीसालाल (अ.सा.02) तथा संतराबाई (अ.सा.04) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, रुपये दो लाख वाली बात उन्हें फरियादिया ने बतायी थी। संतराबाई (अ.सा.04) ने स्वीकार

किया है उसकी पुत्री से केवल आरोपी पप्पु ने दहेज मांगा था, शेष आरोपीगण ने नहीं मांगा था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षियों के कथनों का कोई खंडन नहीं हुआ है।

9. आर0एस0 मंडलोई (अ.सा.05) का कथन है कि, दि0 13.03.2013 को थाना अंजड में फरियादिया दुर्गाबाई ने आकर आरोपीगण के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के संबंध में प्र0पी0 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दि0 14.03.2013 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी पप्पु के कब्जे से स्टील के बर्तन प्र0पी0 4 के अनुसार जप्त किये थे। उसने फरियादिया दुर्गाबाई तथा साक्षी अनारसिंह, घीसालाल, संतराबाई तथा राधेश्यात उर्फ श्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, महिला परामर्श केन्द्र बडवानी में उभय पक्षों का आपसी समझौता नहीं होने से उसने रिपोर्ट की थी। लेकिन साक्षी ने इंकार किया है कि, उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट फरियादा को पढकर नहीं बतायी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने आरोपी के पडोसी बद्री, दयाराम, रमेश और किशोर के कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, उसने पूछताछ की थी लेकिन उन्होंने कथन देने से मना कर दिया था। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

10. बद्री बचाव साक्षी का कथन है कि, वह पप्पु और उसकी पत्नि दुर्गाबाई को पहचानता है। चार वर्ष पूर्व उनके मध्य आपसी राजीनामा हुआ था जो प्र0डी0 1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उनके बंजारा समाज में दहेज का लेन देन नहीं किया जाता है। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है आरोपी पप्पु उसका भतीजा लगता है। पप्पु के घर के अंदर क्या बात होती है इस संबंध में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। यदि आरोपी पप्पु अपनी पत्नि के साथ किसी दिन मारपीट करता हो तो उसे नहीं बताता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उनके समाज में कुछ लोग शराब पीते हैं और कुछ लोग सट्टा भी खेलते हैं तथा समाज के सभी लोगों में एक जैसे गुण नहीं होते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, प्र0डी0 1 की लिखा पढी जहां करायी थी वहां दुर्गाबाई नहीं गयी थी और दुर्गाबाई ने उसके सामने प्र0डी0 1 पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। इस प्रकार इस साक्षी के सामने दुर्गाबाई द्वारा प्र0डी0 1 पर हस्ताक्षर नहीं करने से साक्षी के सामने आरोपी पप्पु और फरियादिया के मध्य राजीनामा होने की बात विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

11. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। फरियादिया स्वयं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपीगण से राजीनामा कर लिया था। यहां तक कि, आरोपीगण की जमानत भी फरियादिया की आपत्ती नहीं करने और राजीनामा करने के आधार पर हुयी है। अतः आरोपीगण के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. यह सही है कि, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से करना फरियादिया स्वयं ने स्वीकार किया है लेकिन फरियादिया स्वयं ने स्पष्ट किया है कि, वह अपना घर नहीं

बिगाडना चाहती थी। इस कारण पहले महिला परामर्श केन्द्र बडवानी में रिपोर्ट की थी जहां पर राजीनामा नहीं होने के कारण उसने फिर थाना अंजड पर रिपोर्ट की थी। अनारसिंह (अ.सा.03) ने भी स्पष्ट किया था कि, फरियादिया ने पहले महिला थाने में शिकायत की थी जहां उसके ससुराल वालों को समझाईश दी गयी थी लेकिन वह दहेज की बात को लेकर आड़े रहे। उसके बाद फरियादिया ने थाने पर रिपोर्ट की थी। संतराबाई (अ.सा.04) ने भी दुर्गाबाई द्वारा पहले महिला थाने पर रिपोर्ट करने के बाद और उसके बाद थाना अंजड में रिपोर्ट करना बताया था। जिससे फरियादिया द्वारा रिपोर्ट में विलंब करने का स्पष्टीकरण हो जाता है और उसके आधार पर अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक आरोपी पप्पु के अन्य पड़ोसियों और स्वतंत्र साक्षियों के घटना के विषय में कथन नहीं लिये जाने का प्रश्न है वहां आर0एस0 मंडलोई (अ.सा.05) ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि, उसने पप्पु के पड़ोसियों से पूछताछ की थी लेकिन उक्त व्यक्तियों ने कथन देने से इंकार किया था। ऐसी स्थिति में किसी भी स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं करवाये जाने से अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

13. जहां तक प्रकरण की फरियादिया द्वारा आरोपीगण से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी जाने के बाद दि0 20.03.2013 को राजीनामा न्यायालय में पेश किये जाने का प्रश्न है वहां फरियादिया स्वयं ने प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त राजीनामा होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि, फरियादिया ने दि0 20.03.13 को आरोपीगण से राजीनामा और शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया था तो उक्त सम्पूर्ण राजीनामा और फरियादिया का शपथ पत्र रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान पेश किया गया है, तथा उसके पश्चात् फरियादिया ने आरोपीगण से कोई राजीनामा न्यायालय में पेश नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया है कि, उसने आरोपी से **प्र0पी0 4** का राजीनामा किया था। जिसके बाद वह ससुराल भी गयी थी लेकिन ससुराल वालों ने उसे अच्छे से नहीं रखा। आरोपीगण के विरुद्ध भादसं0 की धारा 498—ए तथा दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/4 का आरोपी विरचित है जो कि, शमनीय प्रकृति का अपराध नहीं है ऐसी स्थिति में रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान उभय पक्षों के मध्य कोई राजीनामा का आवेदन न्यायालय में पेश करने मात्र से ही बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। आरोपी पप्पु ने **प्र0पी0 4** का उसके और फरियादिया के मध्य हुये इंकारनामों से इंकार नहीं किया है। यहां तक कि, उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों से भी इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में **प्र0पी0 4** का इंकारनामा एक स्वीकृत दस्तावेज है जो आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र ने फरियादिया के पक्ष में लिखा है उक्त इंकारनामा **प्र0पी0 4** के पैरा नंबर 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि, “आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र” द्वारा दहेज की मांग रुपये दो लाख करने से एवं अन्य छोटी छोटी बातों से परेशान करने से विवाद हो गया इस कारण आरोपी ने फरियादिया को घर से निकाल दिया था। यहां तक कि, आरोपी पप्पु ने फरियादिया से दहेज स्वरूप रुपये 50,000 /— (पचास हजार रुपये) की प्राप्त होने की स्वीकारोक्ती भी उक्त **प्र0पी0 4** के पैरा नं0 3 में की है तथा भविष्य में फरियादिया से किसी प्रकार से दहेज आदि की मांग तथा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने की स्वीकारोक्ती भी की है। इस प्रकार उक्त **प्र0पी0 4** का निष्पादन आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र से स्वीकृत है जो कि, उसकी ओर से न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है।

जिसका कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। यहां तक कि, फरियादिया और शेष साक्षियों को उक्त संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है।

14. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि, आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र जो फरियादिया का पति है, ने फरियादिया दुर्गाबाई से दहेज के रूप में रुपये दो लाख की मांग विवाह के पश्चात् की थी और उक्त मांग की पूर्ति नहीं करने पर फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट की तथा फरियादिया को घर से निकाल दिया जो कि, भा0द0सं0 की धारा 498-ए, 323 एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 4 का अपराध है जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है अतः यह न्यायालय आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र को भा0द0सं0 की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

15. जहां तक आरोपी मीराबाई, कस्तुरीबाई उर्फ कालु, ललिताबाई, राजु एवं भोल्या के विरुद्ध उक्त अपराधों को कारित करने का प्रश्न है वहां फरियादिया सहित किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि, उक्त आरोपीगण ने उसे दहेज में रुपये दो लाख की मांग करके उसे प्रताड़ित किया था। सभी साक्षीगण ने केवल उक्त आरोपीगण द्वारा पप्पु को सिखाने की बात कही है। ऐसी स्थिति में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध भाद0सं0 की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त आरोपीगण को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। मीराबाई, कस्तुरीबाई उर्फ कालु, ललिताबाई, राजु एवं भोल्या के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. फरियादिया ने आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र के विरुद्ध भाद0सं0 की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। फरियादिया और किसी साक्षी का यह भी कथन नहीं है कि, आरोपी पप्पु ने फरियादिया से दहेज लिया इस कारण दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 3 का अपराध भी आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त अपराधों से आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र के दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण की परिस्थितियों तथा समाज में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति इस तरह के अपराधों को देखते हुये, आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

पुनश्च:-

18. सजा के प्रश्न पर आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र और उसके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि, आरोपी गरीब ग्रामीण और मजदूर पैशा अशिक्षित व्यक्ति है अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये, तथा न्यूनतम दंड दिया जाये।

19. यह सही है कि, आरोपी गरीब ग्रामीण अशिक्षित है और उसने विचारण का सामना भी शीघ्रता से किया है, लेकिन आरोपी ने जिस तरह से अपनी पत्नि को दहेज की मांग के लिये प्रताडित करते हुये, उसके साथ मारपीट करते हुये घर से निकाल दिया था। उसे देखते हुये आरोपी सहानुभूति का अधिकारी नहीं है। अतः यह न्यायालय आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र को भादसं० की धारा 498-ए में दोशी ठहराते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर आरोपी 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 4 में आरोपी को दोशी ठहराते हुये, छः माह के सश्रम कारावास तथा 1000/- के अर्थदण्डसे दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर आरोपी 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। उक्त दोनो सजाए साथ-साथ चलेगी। चूंकि भादसं० की धारा 498-ए के अपराध में भादसं० की धारा 323 का अपराध समाहित है तथा भादसं० की धारा 498-ए का अपराध गुरुतर श्रेणी का है। अतः भादसं० की धारा 323 में पृथक से दण्डित नहीं किया जा रहा है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) फरियादिया श्रीमती दुर्गाबाई को द०प्र०सं० की धारा 357 (1) में अपील अवधि पश्चात् प्रदान किया जाये। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बर्तन अपील अवधि पश्चात् फरियादिया दुर्गाबाई को वापस लौटाये जाये।

20. आरोपी द्वारा निरोध में बितायी गयी अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जाये। उक्त अनुसार द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

21. आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। निर्णय की एक प्रति आरोपी पप्पु उर्फ जितेन्द्र को निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

